

संचिका सं०-7/जन स्वा० संस्थान-08-01/2026-27-177 (70)

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण, भा.प्र.से.  
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

द्वारा- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक-15/04/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना में विभिन्न पारामेडिकल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति/ वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू० 16,50,000/- (रूपये सोलह लाख पचास हजार) मात्र व्यय निमित्त आवंटन की स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1017(1) दिनांक-30.11.2022 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना में विभिन्न पारामेडिकल पाठ्यक्रमों अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति/ वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू० 16,50,000/- (रूपये सोलह लाख पचास हजार) मात्र व्यय निमित्त स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं०-20 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष-06-लोक स्वास्थ्य, लघु शीर्ष-003-प्रशिक्षण -0002-जनस्वास्थ्य संस्थापन, विपत्र कोड-20-2210-06-003-0002 अंतर्गत छात्रवृत्ति/ वजीफा (34-01) मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

(3) - इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, पटना प्रमंडल, पटना के क्षेत्रीय अपर निदेशक, बिहार होंगे ।

(4) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रों के आलोक में राशि की निकासी सुसंगत प्रपत्रों के माध्यम से करते हुए संबंधित छात्रों को उपलब्ध करायेगे ।


(5) राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जायेगी ।

(6) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि० (2) दिनांक-17.4.1998 एवं संकल्प सं०-12888/वि० दिनांक-03.12.2024 के प्रावधानों के अधीन निर्गत किया जा रहा है ।

(7) वित्त विभाग द्वारा किये गये निदेश के आलोक में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र **BTC Form 42A** पर तैयार करते हुए नियमानुसार व ससमय महालेखाकार के कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

- (8) प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संख्या-7/जन स्वा0 संस्थान-08-01/2026-27 के पृ0-02/टि0 पर प्राप्त है ।
- (9) इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।
- (10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, एतदसंबंधी आवंटनादेश अलग से उपलब्ध कराया जायेगा ।
- (11) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

विश्वासभाजन,


  
( शंमु शरण )

सरकार के अपर सचिव  
स्वा0

ज्ञापांक:- 7/ जन स्वा0 संस्थान-08-01/2026-27-177(70) स्वा0, पटना, दिनांक:-15/04/2026

प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/ जिला पदाधिकारी, पटना/ निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/ क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/ असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07 एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

  
सरकार के अपर सचिव  
स्वा0

लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना को विभिन्न पारामेडिकल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति/ वजीफा के भुगतान हेतु आवंटित की जाने वाली राशि-

क्रमांक	संस्थान का नाम	छात्रवृत्ति/ वजीफा (34-01) मद में आवंटित राशि (रूपयें में)
1	लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना	16,50,000 / -

16,50,000 / - (रूपये सोलह लाख पचास हजार) मात्र

  
सरकार के अपर सचिव  
स्वा0